प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13.07.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की पाँचवीं बैठक के कार्यवृत्त।

नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की पाँचवीं बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनांक 13.07.2015 को 11.00 बजे प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।श्री ओ.पन्नीरसेल्वम, माननीय मंत्री, वित्त और लोक निर्माण, तमिलनाडु सरकार; श्री बाबूभाई बोखिरिया, माननीय जल संसाधन मंत्री, गुजरात सरकार; श्री राम प्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार; श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, झारखंड सरकार; श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश सरकार; श्री विजय शिवतारे, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, महाराष्ट्र सरकार; श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार, तेलंगाना सरकारएवं बैठक में विभिन्न केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार संगठनों के सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

आरंभ में, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने विशेष समिति की बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का था और इसका लक्ष्य सूखा प्रवण और बारिश वाले क्षेत्र में जल की उपलब्धता को बढ़ाकर जल के वितरण में अधिक से अधिक न्याय-संगतता सुनिश्चित करना था।जल सुरक्षा के ऐसे क्षेत्रों को आश्वस्त करने के अलावा, यह कार्यक्रम देश की जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में बहुत लंबा मार्ग तय करेगा। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि पर्याप्त जल संसाधन वाले राज्यों को इस राष्ट्रीय आवश्यकता को सहकारिता की भावना के साथ सराहना चाहिए और अभावग्रस्त क्षेत्रों में मदद का विस्तार करना चाहिए। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य समापन चरण में था और डी.पी.आर. की स्थापना जुलाई, 2015 तक होने की उम्मीद थी। पार-तापी-नर्मदा के डी.पी.आर. पूरा होने के बाद लिंक परियोजना, दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझाकरण के मुद्दे को संबोधित किया जाएगा।

माननीय मंत्री ने अंतर्योजनपरियोजनाओं के मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सूचित किया जिसके तहत केंद्रीय जल आयोग (केंद्रीय जल आयोग) अब राज्य सरकारों के साथ-साथ रा.ज.वि.अ. को भी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। रा.ज.वि.अ. द्वारा टिप्पणियों का अनुपालन सीधे ही केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुतकिया जाएगा। सरलीकृत प्रक्रिया लिंक परियोजनाओं के मूल्यांकन में तेजी लाएगी। माननीय मंत्री ने आगे सूचित किया कि उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने 29.5.2015 को भुवनेश्वर में महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के वैकल्पिक प्रस्ताव को ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था और शीघ्र ही प्रस्ताव पर राज्य सरकार के सकारात्मक जवाब की उम्मीद है। उन्होंने उल्लेख किया कि ओडिशा के सत्रह माननीय सांसद सदस्यों ने महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना के वर्तमान प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि नेपाल में सप्त कोसी परियोजना की डी.पी.आर. की तैयारी में तेजी ला रही है। सप्त कोसी बांध कोसी-घाघरा लिंक की सुविधा देगा, जो सिंचाई से अलावा बिहार में विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण लाभ प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री ने आगे कथन किया कि एक महत्वपूर्ण लिंक मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा की योजना को शीघ्र ही असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों के साथ परामर्श कर आरंभ किया जाएगा। यह लिंक परियोजना केवल असम, पश्चिम बंगाल और बिहार को वृहत सिंचाई और जलापूर्ति के लाभ प्रदान नहीं करेगा, बल्कि बाद में दक्षिणी राज्यों में अंतरण के लिए बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध कराएगा। माननीय मंत्री ने गौर किया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा गठित नदियों के अंतर्योजनके लिए कार्यबल ने पहले से ही कामकाज शुरू कर दिया है जो लिंक परियोजनाओं पर राज्यों के बीच तेजी से आम मतैक्यता स्थापित करने में मदद करेगा। उन्होंने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों के सभी सदस्यों के सहयोग और सहायता की अपेक्षा की।

तमिलनाडु

श्री ओ. पन्नीरसेल्वम, माननीय मंत्री, वित्त एवं लोक निर्माण, तमिलनाडु सरकार ने आग्रह किया कि महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक प्रणाली के प्रायद्वीपीय ग्रिड को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए मौजूदा अंत:राज्यीय समझौतों को भंग नहीं किया जाना चाहिए

और तमिलनाडु जैसे जल अभावग्रस्त राज्यों कीजल उपलब्धता में वृद्धि करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पम्बा-अच्चेलकोविल-वैप्पार लिंक परियोजना में पम्बा और अच्चेलकोविल नदियों को वैप्पार बेसिन के लगभग 22 टीएमसी जल के व्यपवर्तन की जानकारी दी गई है जिसके लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट पहले ही पूरी कर ली गई है, शीघ्र ही लागू किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार ने पौन्नैयार (सथनूर बांध)-पलारलिंक, पौन्नैयार (नेदुंगल एनिकट)-पलारलिंक, कावेरी-सारबांगा लिंक, अथिकदावु-अविनाशी बाढ़ नहर योजना और तमिरावारानी-करुमेनियार-नांबियार लिंक जैसे अंतरा-राज्यलिंक को लागू करने की योजना बनाई थी। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि उपरोक्त परियोजनाएं पहले भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गईं थीं। हालांकि, इनको अनुकूल नहीं माना गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा फिर से विचार किया जा सकता है।

गुजरात

गुजरात सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री श्री बाबूभाई बोखिरिया ने उल्लेख किया कि गुजरात से संबंधित नदियों के चार अंतर्योजनकार्यक्रमों थे, अर्थात् (i) दमनगंगा-पिंजल (ii) पार-तापी-नर्मदा (iii) दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़ और (iv) राजस्थान-साबरमती। उन्होंने उल्लेख किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लिए थी और गुजरात सरकार ने रा.ज.वि.अ. को इस परियोजना के डी.पी.आर. पर अपने विचार दिए थे। पार-तापी-नर्मदा लिंक गुजरात को लाभ देता है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले 25 वर्षों से गुजरात अपने मूल आवश्यकता के अनुसार उकाई बांध में लगभग 5200 एम.सी.एम. जल का इस्तेमाल कर रहा था और रा.ज.वि.अ. के अध्ययन के अनुसार उकाई में जल की कमी 5319 एम.सी.एम. होने का मूल्यांकन किया गया था। इसलिए, उन्होंने कहा कि पार-तापी-नर्मदा को दिए जाने वाले जल के एवज में तापी बेसिन से महाराष्ट्र द्वारा जल की मांग स्वीकार्य नहीं मानी गई है। माननीय मंत्री ने शीघ्रातिशीघ्र पार-तापी-नर्मदा लिंक के डी.पी.आर. को पूरा करने के लिए अनुरोध किया ताकि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जल बांटने के बारे में समझौता ज्ञापन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़ अंतरा-राज्य लिंक के डी.पी.आर. को पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो सौराष्ट्र क्षेत्र के जल अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए बेहद लाभकारी था। माननीय मंत्री ने राजस्थान-साबरमती लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट पूरी करने के लिए भी आग्रह किया, जो उत्तर गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। माननीय मंत्री ने पर्यावरण और वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और रेलवे और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से निकासी के लिए एक एकल खिड़की व्यवस्था के निर्माण के लिए सुझाव दिया। उन्होंने इन योजनाओं को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया।

राजस्थान

श्री राम प्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार ने उल्लेख किया कि शारदा-यमुना, यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती लिंकशारदा नदी के जल पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि शारदा-यमुना लिंक का सर्वेक्षण और जांच कार्य नेपाल के हिस्से में अंतरराष्ट्रीय आयाम के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन लिंकोंकी संभाव्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने नेपाल में सर्वेक्षण और जांच करने के लिए आवश्यक अनुमति में तेजी लाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अनुरोध किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा भारतीय भाग में उपर्युक्त लिखित लिंक के लिए तैयार किए गए प्रारूप संभाव्यता रिपोर्ट को राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान सरकार ने अंतरा-राज्य संबंधों के चार प्रस्ताव तैयार किए थे और केंद्रीय परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने के अनुरोध के साथ केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था। ये हैं, नामतः (i) चंबल बेसिन की पार्बती और कालीसिंध नदियों का बनास, गंभीर, एवं पार्बती नदियों के साथढोलपुर तक का संबंधन। (ii) ब्राह्मणी नदी (चंबल बेसिन)कोबनास बेसिन को बिसालपुर तक लिंकके लिए। (iii) साबरमती बेसिनके अधिशेष जल काव्यपवर्तन जावई बांध को भरने के लिए किया जाएगा और (iv) साबरमती बेसिन (देवास बिंदु) के अधिशेष जल काव्यपवर्तन राजसमुंद बांध को भरने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने इन अंतर राज्य लिंक परियोजनाओं के डी.पी.आर. की तैयारी के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक सूखा प्रभावित राज्य था और सूखाग्रस्त राज्य में जल संसाधन परियोजनाओं पर विचार करने के लिए लाभ-लागत (बीसी) अनुपात मानदंडों के नियमों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य रूप में शिथिल करने का अनुरोध किया।

झारखंड

श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, झारखंड सरकार ने बताया कि तेजी से औद्योगीकरण के कारण सुबर्णरेखाबेसिन में जल की मांग बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि पीने के उद्देश्य के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि और औद्योगिक जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, झारखंड सरकार ने तीन अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावित किए थे,अर्थात; बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा,संख-दक्षिणकोयल और दक्षिणकोयल-सुवर्णरेखा। रा.ज.वि.अ. ने पहले से ही इन लिंकोंकेपूर्वसंभाव्यताप्रतिवेदन (पीएफआर) तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंक के डी.पी.आर. को रा.ज.वि.अ. द्वारा पहले ही तैयार करने हेतु ले लिए गए हैं। जबकि ओडिशा के अन्य दो लिंकों के लिए कुछ संदेह हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने केंद्रीय जल आयोग और रा.ज.वि.अ. के साथ झारखंड और ओडिशा के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समूह का गठन किया है जिसमें इन लिंकों से संबंधित अंत:राज्यीय मुद्दों का समाधान किया गया है। उन्होंने इस समूह की शुरुआती बैठक के लिए अनुरोध किया ताकि इन दो लिंकों के डी .पी.आर. का काम बाद में किया जा सके। माननीय मंत्री ने इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया ताकि उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो। उन्होंने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा तय करने का भी अनुरोध किया।

उत्तर प्रदेश

श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री, श्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने उल्लेख किया कि उनके राज्य ने केन-बेतवा लिंक परियोजना हेतु 2629 हेक्टेयर में से 1441 हेक्टेयर भूमि की पहचान वनीकरण के लिए की थी और शेष भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है । उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिकता पर केन-बेतवा लिंकपरियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी ताकि परियोजना के लाभ सभी हितधारकों तक पहुंच सकें। उन्होंने कोसी-घाघरा, गंडक-गंगा और शारदा-यमुना लिंक परियोजना में तेजी लाने का अनुरोध किया।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री माननीय श्री विजय शिवतारे ने उल्लेख किया कि उनके विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विशेष समिति की चौथी बैठक के कार्यवृत्त में कुछ संशोधनों की आवश्यकता थी। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रस्तावित भुगड़ और खड़गीहिल बांध स्थलों पर 100% जल की उपलब्धता पर विचार करते हुए दमनगंगा-पिंजल लिंकपरियोजना की योजना बनाई गई है और अनुरोध किया कि 75% निर्भरता पर योजना पर विचार किया जाए।उन्होंने आग्रह किया कि नर-पार-तापी लिंक (अर्थात पार-तापी-नर्मदा लिंक) के माध्यम से व्यपवर्तन के लिए अधिशेष जल का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र के ऊपरी भाग में तापी बेसिन में , जिसमें जल संसाधनों में कमी है,क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के लिए महाराष्ट्र के जल के हस्तांतरण के लिए सहमत नहीं होगी। उन्होंने अनुरोध किया कि रा.ज.वि.अ.द्वारा कोयना-मुंबई शहर कीअंतरा-राज्य लिंक परियोजना के डी.पी.आर. का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, जिसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में माना जा सकता है।

तेलंगाना

श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार,तेलंगाना सरकार ने कथन किया कि कि उनकी राज्य सरकार के विचारों को दोहराते हुए वे गोदावरी और कृष्णा बेसिनोंमें विभिन्न व्यपवर्तन बिंदुओंपर जल संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा नियोजित सभी परियोजनाओं पर ध्यान देते हुए पुन: अध्ययन कराए जाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में मौजूदा, चालू और प्रस्तावित परियोजनाओं को देखते हुएअन्य राज्यों में अंतरणके लिए गोदावरी बेसिन में 75% निर्भरता पर कोई अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं की योजना में 120 मीटर तक जल उठाने पर रोक लगाने के लिए मानदंडों की समीक्षा की जा सकती है क्योंकि गोदावरी बेसिन में जल निचले इलाकों में उपलब्ध था, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में जरूरत थी।

इसके पश्चात, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.और सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा के लिए कार्यसूची मदें प्रस्तुत कीं।

मद 5.1 : 14 मई, 2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की चौथी बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 16.6.2015 के पत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2.7.2015 के पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणी भेजी और मद 4.7 के तहत निम्नलिखित "दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति" को जोड़ने का सुझाव दिया:

"माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक पार-तापी-नर्मदा लिंकका संबंध है, जल के अभाव के लिए अग्रणी महाराष्ट्र के तापी/गोदावरी बेसिनों में शीर्ष 200 मीटर भाग में जल के व्यपवर्तन के अलावा, सुरंग के माध्यम से उस स्तर के नीचे और अधिक जल के व्यपवर्तन की संभावनाका भी एनडीडब्ल्यू द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना के रूप में एक परियोजना की घोषणा के लिए नए मापदण्डों को उचित रूप से जोड़ने के लिए कोयना-मुंबई शहर (कोयना टेल रेस जल-मुंबई शहर) की एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अंतरा-राज्य लिंकपरियोजना की आवश्यकता पर जोर दिया।उन्होंने उल्लेख किया कि मुंबई जैसे महानगरीय शहर में जल आपूर्ति जैसे मापदंड और भूजल के मेगा रिचार्ज को शामिल करने वाले परियोजनाओं को भी सीसीए के वर्तमान पैरामीटर के अलावा एक परियोजना के 2 लाख हेक्टेयर से अधिक के लिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में करार दिया जाना चाहिए।उन्होंने तेलंगाना राज्य से अनुरोध किया कि वह प्राणहिता-छेवेला परियोजना के एफआरएल को 4.0 मीटर यानी आरएल 152.00 मीटर से आरएल 148.00 मीटर तक घटाए ताकि चंद्रपुर और गडचिरोली जिले की 2100 हेक्टेयर भूमि का को जलमग्न होने से बचाया जा सके।

विशेष प्रतिनिधि, तेलंगाना सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने पर सहमति दी और आश्वासन दिया कि जितना संभव हो सके, तेलंगाना राज्य उतना न्यूनतम जलमग्न करना सुनिश्चित करेगा।"

समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

महाराष्ट्र सरकार की उक्त टिप्पणी को शामिल करने के साथ ही बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि समिति द्वारा की गई।

मद सं.5.2 : पिछली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई का पालन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की चौथी बैठक में, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार के बुरही गंडक-नून-बाया-गंगा और कोसी-मेची के गहन लिंक परियोजनाओं के मूल्यांकन में तेजी लाने का अनुरोध किया था। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता वाली एक बैठकका आयोजन 4.9.2015 को हुआ था जिसमें प्रधान सचिव,जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार; महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और केंद्रीय जल आयोगतथा रा.ज.वि.अ. के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया था। दोनों परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। उपरोक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय जल आयोग राज्य सरकार के साथ -साथ रा.ज.वि.अ. को लिंक परियोजनाओं के डी.पी.आर. पर सीधे अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत करेगा। रा.ज.वि.अ.,केंद्रीय जल आयोग को सीधे टिप्पणियों का अनुपालन प्रस्तुत करेगा जिससे इस प्रक्रिया को संक्षिप्त किया जाएगा और मूल्यांकन में तेजी लाई जा सकेगी। जब भी आवश्यक हो, राज्य सरकार जानकारी प्रदान करेगी।

(ii) नदियों के अंत:लिंक की विशेष समिति की चौथी बैठक के दौरान माननीय मंत्री (डब्लूआर, आरडी और जीआर) और नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति के अध्यक्ष को कार्यबल की आवश्यकता के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। इसका प्रभावी, निर्विघ्नऔर तेजी से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नदियों का अंतर्योजन कार्यबलके वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के संबंध में सशक्तिकरण,सचिवीय सहायता आदि के बारे में एक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने अनुमोदन दे दिया है। मंत्रालय में आगे की जानकारी/आदेश संसाधित किए जा रहे हैं।

मद सं.5.3 : नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति द्वारा गठित उप -समिति-I और II के कार्यकाल का विस्तार

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया 17.10.2014 को आयोजित विशेष समिति की पहली बैठक के दौरान किए गए निर्णयानुसार,13 मार्च, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने तीन

उप-समितियों का गठन किया था, अर्थात, (i) नदियों के अंतर्योजन के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति **(उप समिति-I);** (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति **(उप समिति II);**तथा (iii) रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति**(उप समिति-III)**।उप-समिति-I और II के संदर्भ की शर्तें काफी व्यापक हैं। दोनों उप-समितियों की तीन बैठकों का आयोजन किया गया है। इन उप-समितियों का कार्यकाल 12 अगस्त 2015 तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि, आवश्यक सलाहकारों को नियुक्त नहीं किया जा सका , दोनों उप-समितियों द्वारा बड़ी मात्रा में कार्य किया जाना शेष था और समय विस्तार की आवश्यकता थी। इन उप-समितियों के अध्यक्ष ने भी इस संबंध में समय के आगे विस्तार की आवश्यकता व्यक्त की है।उप-समिति-I और II द्वारा किए जाने वाले शेष कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विशेष समिति ने इन उप-समितियों के कार्यकाल को अगले छह महीनों अर्थात 12 फरवरी 2016 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मद सं.5.4 : विशेष समिति में अध्यक्ष , नदियों के अंतर्योजन के लिए गठित कार्यबलको विशेष आमंत्रित बनाए जाने का प्रस्ताव

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि नदियों के अंतर्योजन के लिए गठित कार्यबल को नदियों के अंतर्योजनकार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशेष समिति की सहायता का कार्य सौंपा गया है। कार्यसूची के अनुसार विशेष समिति के साथ कार्यबल का उचित संपर्क रखने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया था कि नदियों का अंतर्योजन के कार्यबल को विशेष समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय और कार्यबल के अध्यक्ष, ने हालांकि प्रस्ताव दिया कि अध्यक्ष , कार्यबल को विशेष समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री नवलवाला के प्रस्ताव पर समिति ने विचार किया एवं स्वीकार किया। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन विशेष समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

मद सं.5.5 : केन-बेतवा लिंक परियोजना विभिन्न वैधानिक मंजूरी के चरण-I की स्थिति

मद सं.5.5.1 : पर्यावरण मंजूरी

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने दिसंबर 2014 के दौरान परियोजना क्षेत्र में जन सुनवाई का आयोजन किया था और सार्वजनिक सुनवाई के विस्तृत कार्यवाही दस्तावेज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपने पत्र दिनांक 31.3.2015 द्वारा प्रस्तुत किया था। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि नवीनतम अधिसूचना, सार्वजनिक सुनवाई और अन्य विवरणों की टिप्पणियों के कारण चरण-1 परियोजना की संशोधित ईआईए अध्ययन रिपोर्ट का मसौदा पूरा हो चुका है और रा.ज.वि.अ. में जांच के अधीन था। आगे की कार्रवाई के लिए संशोधित ईआईए रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यसूची नोट में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.5.5.2 : वन्यजीव अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि वन्यजीव विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव निकासी के संबंध में एक संशोधित आवेदन रा.ज.वि.अ. द्वारा निदेशक और मुख्य वन संरक्षक, पन्ना बाघ अभयारण्य, पन्ना को 20.02.2015 को प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन को निदेशक और मुख्य वन संरक्षक पन्ना ने पीसीसीएफ, वन्यजीव भोपाल को 1 अप्रैल, 2015 के पहले सप्ताह में अग्रेषित कर दिया है। पीसीसीएफ, वन्यजीव, भोपाल द्वारा वन्यजीव अनुमति प्रस्ताव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की के समक्ष अपनी अगली बैठक जो जुलाई , 2015 के दौरान आयोजित होने की संभावना है, में प्रस्तुत करेगा।

कार्यसूची टिप्पण नोट में दी गई जानकारी समिति द्वारा संज्ञान में ली गई।

मद सं.5.5.3 : वन भूमि में व्यपवर्तन अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि वन भूमि व्यपवर्तन अनुमति के ऑनलाइन आवेदन पर जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (सीएटी) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अनुमोदन को छोड़कर पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की टिप्पणियों का पालन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), छतरपुर के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, सीएटी योजना को संशोधित किया गया है।इसके अलावा, सीसीएफ, छतरपुर द्वारा सुझाए गए अनुसार जलग्रहण क्षेत्र के प्रभाग-वार और विभाग-वार मानचित्रों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केन-बेतवा लिंकपरियोजना के प्रस्ताव पर प्रत्येक संबंधितग्राम सभा ने परियोजना क्षेत्र में चर्चा की और पारित किया। जिलाधीश द्वारा शीघ्र ही एफआरए प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आशा है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि परियोजना के निष्पादन से संबंधित संरचनाओं और अन्य पहलुओं की बनावट रा.ज.वि.अ. द्वारा एक साथ किया जाएगा।महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि संरचनाओं की बनावट पहले ही की जा चुकी है और डी.पी.आर. में संबंधित विवरण/चित्र दिए गए थे। श्री महाराज के. पंडित, सदस्य ने अनुरोध किया कि परियोजना की संशोधित ईआईए रिपोर्ट का एक कार्यकारी सारांश उन्हें प्रदान किया जा सकता है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि वह उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा।

मद सं.5.6 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के डी.पी.आर. की वर्तमान स्थिति

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के तहत निचले ओर बांध की वन स्वीकृति के लिए आवेदन 02.10.2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था। सीसीएफ, शिवपुरी और अशोक नगर, मध्य प्रदेश से सीएटी योजना के अनुमोदनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की की वेबसाइट पर प्राप्त और अपलोड किया गया है। ईआईए रिपोर्ट को पूरा करने के बाद, निचले ओर बांध के संबंध में जन सुनवाई, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कार्यसूची नोट में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.5.7 : दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना का डी.पी.आर. पूरा कर लिया गया है और अप्रैल, 2014 में महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों को प्रस्तुत किया गया था। ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) ने केंद्रीय जल आयोग को परियोजना का डी.पी.आर. मूल्यांकन के लिए जनवरी, 2015 में सौंप दिया था। डी.पी.आर. का केंद्रीय जल आयोगद्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। माननीय केन्द्रीय मंत्री (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने 7 जनवरी 2015 को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस परियोजना के संबंध में आगे की कार्रवाई की गति बढ़ाने के लिए बैठक की।

पार-तापी-नर्मदा लिंकपरियोजना के डी.पी.आर. तैयार करने का काम अंतिम चरण में है और इस लिंकपरियोजना का डी.पी.आर. जुलाई 2015 तक पूरा होने की उम्मीद है।रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने उल्लेख किया है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जल साझेदारी का मुद्दा,दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना को पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने के बाद संबोधित किया जाएगा और इस संबंध में जल साझाकरण पर एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है।

मद सं.5.8 : महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना का संशोधित प्रस्ताव

(i) पृष्ठभूमि और पहले के प्रस्ताव

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि ओडिशा में महानदी पर प्रस्तावित मणिभद्रा बाँध से लेकर बाद में आंधप्रदेश के विद्यमान दौलेश्वरम बैराज के 15 किमी नदी के ऊपर गोदावरी नदी में शामिल महानदी-गोदावरी लिंक का संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया था। ओडिशा सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार प्रस्तावित बाँध में ओडिशा में लगभग 59400 हे. भूमि जलमग्न हो रही थी। हालांकि, ओडिशा सरकार इस प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं थी क्योंकि मणिभद्रा बांध में बड़ी जलमग्नता शामिल थी। महानदी-गोदावरी लिंक के विषय पर समय-समय पर ओडिशा सरकार के साथ चर्चा की गई है।जनवरी 2015 में चर्चा के दौरान, जल संसाधन विभाग,

ओडिशा ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए और परिणामस्वरूप रा.ज.वि.अ. ने न्यूनतम डूब और तुलनीय लाभ के साथ महानदी-गोदावरी लिंकका एक संशोधित प्रस्ताव तैयार किया।

(ii) संशोधित प्रस्ताव और अनुमानित लाभ

संशोधित प्रस्ताव महानदी नदी पर मणिभद्रा की 14 किमी की ऊंचाई पर स्थित बड़मुल में एक बांध की परिकल्पना है।एफआरएल 80 एम के साथ बड़मुल बांध का 1216 एम.सी.एम. का सकल भंडारण होगा और 9182 एम.सी.एम. जलका उपयोग होगा।जिसमें से मार्गस्थ की पूर्ति के बाद 4046 एम.सी.एम. जल गोदावरी बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा।महानदी-गोदावरी लिंक बड़मुल बांध से शुरू होगा, जो कि 842 किमी लंबाई कीलिंकनहर होगी।महानदी घाटी में तेल उप-बेसिनमें सल्की और ओंग, ओंग उप-बेसिनमें तथा तेल उप बेसिन में उत्तेई रॉल एकीकरण परियोजना, खडागो, उदंती एवं तेल-एकीकरण परियोजना में छः बांध परियोजनाओं को महानदी-गोदावरी बाढ़ परिनियमन योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।छह बांध परियोजनाएं ओडिशा राज्य के भीतर 1162 एम.सी.एम. जल का उपयोग करेगी। बड़मुल बांध से जलमग्नता 13768 हेक्टेयर की होगी। और छह बांध परियोजनाओं से 10222 हेक्टेयर जलमग्नता होगी, इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 23990 हेक्टेयर में जलमग्नता होगी। परियोजना में ओडिशा में लिंक नहर के माध्यम से 3.21 लाख हेक्टेयर तथा छह बांध परियोजनाओं के माध्यम से 1.82 लाख हे.में सिंचाई प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार ओडिशा में कुल सिंचाई 5.03 लाख हेक्टेयर की होगी।पेयजल की आपूर्ति के लिए 125 एम.सी.एम. जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। छह बांध परियोजनाओं में 240 मेगावॉट की जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है।संशोधित प्रस्ताव रिमोट सेंसिंग/जीआईएस के प्रारंभिक अध्ययनों पर आधारित है और विस्तृत अध्ययनों से इसकी पुष्टि की जाएगी।

वर्तमान स्थिति

यह उल्लेखित किया गया कि अपर सचिव (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उपरोक्त प्रस्ताव को ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री से 29.5.2015 को प्रस्तुत किया। ओडिशा सरकार प्रस्ताव की जांच कर रही है और विस्तृत अध्ययन करने के लिए उनके द्वारा प्रतिक्रिया शीघ्र ही व्यक्त करने की उम्मीद है।

ओडिशा के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव प्रारंभिक था और इसमें पर्याप्त जानकारी नहीं थी। उन्होंने गौर किया कि ओडिशा सरकार को जवाब देने के लिए एक अधिक विस्तृत प्रस्ताव जरूरी था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ओडिशा का जल संसाधन विभाग, रा.ज.वि.अ. द्वारा किए गए महानदी बेसिन के जल संतुलन अध्ययन के लिए भी सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके मूल्यांकन के अनुसार 2050 ईस्वी तक महानदी बेसिन में कोई अतिरिक्त जल नहीं था।महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि रा.ज.वि.अ. के जल संतुलन के अध्ययन के अनुसार, महानदी बेसिनमें 2050 ईस्वी की अंतिम आवश्यकता पर विचार करते हुए लगभग 21000 एम.सी.एम. से 75% निर्भरता पर जल अधिशेष था। उन्होंने आगे कहा कि महानदी के जल संतुलन के अध्ययन के बारे में विस्तृत चर्चा एक दशक से भी अधिक समय से ओडीआईएस के साथ विश्व जनशक्ति विकास दल के साथ की गई थी। रा.ज.वि.अ. ने फिर से जल संसाधन विभाग, ओडिशा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की ताकि एक संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि गोदावरी बेसिन में जल अधिशेष नहीं था और केवल बेसिन की आंतरिक आवश्यकता के लिए पर्याप्त था।

तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार वर्तमान प्रस्ताव/अध्ययन तमिलनाडु सरकार के साथ साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने गोदावरी बेसिन को देने के लिए प्रस्तावित जल की मात्रा के बारे में पूछताछ की। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि प्रस्ताव का ब्यौरा प्रारंभिक था और एक बार प्रतिवेदन पर आगे के अध्ययनों के साथ बेहतर स्पष्टता होगी। महानिदेशक ने उल्लेख किया कि गोदावरी और आगे दक्षिण में जल का व्यपवर्तन न केवल इस लिंक पर बल्कि प्रस्तावित मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा लिंक पर भी निर्भर था जिससे इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यपवर्तन प्रदान करने की आशा की गई थी।

श्री महाराज के. पंडित ने गौर किया कि नदी में मछली जीवन को बनाए रखने के लिए समुद्र में निर्बाध प्रवाह पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ संभाव्यता अध्ययन करने की आवश्यकता है।

असम के प्रतिनिधि ने कहा कि मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक जैसे अन्य लिंकों पर जानकारी कार्यसूची टिप्पण में नहीं दिखाई गई थी। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि रा .ज.वि.अ. द्वारा एमएसटीजी लिंककासंभाव्यताप्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जो इसकी समाप्ति पर समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली बैठक में सभी लिंकों का ब्यौरा और स्थिति दी गई थी, जिसकी एक प्रति उन्हें प्रदान की जाएगी।

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने अभिलाषित किया कि उन्हें शारदा -यमुना, यमुना-राजस्थान लिंक परियोजना के मसौदा एफआर की प्रतियां प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रतिनिधियों द्वारा भी इन एफआरएस की प्रतियां चाही गईं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कहा कि वांछित एफआरएस राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को सौंपा जाएगा।

मद सं.5.9 : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि राज्य के सूखा प्रवण होनेऔर रेगिस्तान के तहत बड़े क्षेत्र होने पर विचार करते हुए, अंतरा-राज्यलिंक परियोजनाओं के लिए लाभ लागत (बीसी) अनुपात के मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए और शिथिल किया जाना चाहिए ताकि उनके परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा सके। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने भी इसी तरह का आग्रह किया और अनुरोध किया कि बीसी अनुपात मानदंडों में छूट के लिए उन राज्यों के अंतरा-राज्य लिंक परियोजनाओं के संबंध में छूट दी जाए जो एक बड़े सूखा प्रवण क्षेत्र में शामिल है।

माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने अपनी समापन टिप्पणी में उल्लेख किया कि राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लोगों के लाभ के लिए था एवं नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम को लागू करके बहुत सारे रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

*****

अनुलग्नक-I

नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की
दिनांक 13.07.2015 को आयोजित पाँचवीं बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची

1.	प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ० राम प्रताप, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	श्री बाबू भाई बोखिरिया, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, अहमदाबाद	सदस्य
4.	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार, रांची	सदस्य
5.	श्री ओ. पन्नीरसेल्वम, माननीय मंत्री, वित्त एवं लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य
6.	श्री विजय शिवतारे, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
8.	श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार (कैबिनेट स्तरीय) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	माननीय मंत्री, सिंचाई, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
9.	श्री शशि शेखर, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री आनंद बर्धन, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
11.	डॉ० वी. केंडावेलू सचिव (लोक निर्माण), पुदुचेरी सरकार, पुदुचेरी	सदस्य
12.	श्री टी. वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग,	सदस्य

	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	
13.	श्री एन.एस. पलानियप्पन, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व
14.	श्री दीपक कुमार सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	सदस्य
15.	श्री आदित्य नाथ दास, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
16.	श्री सुखदेव सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची	मुख्य सचिव, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
17.	श्री प्रदीप जेना, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
18.	श्री के.एस. पन्नू, सचिव, सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री दविंदर कुमार, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी	मुख्य सचिव, असम सरकार का प्रतिनिधित्व
20.	श्री सी.के. अग्रवाल, सदस्य (डीएण्डआर), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व

21.	श्री ब्रिजेश सिन्हा, सलाहकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का प्रतिनिधित्व
22.	श्री पी.बी. रामामूर्ति, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू-2	सचिव, जल संसाधन, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
23.	श्री श्रीराम वैदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
24.	सुश्री सयाली संदीप जोशी, सीईओ, एसईआरआई, पुणे एवं सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
25.	प्रो० महाराज के. पंडित, निदेशक, सीआईएसएमएचई, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
26.	श्री विराग गुप्ता, सदस्य, कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन एवं सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
27.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व
28.	श्री विनय जैन, प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़	अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
29.	श्री एस.वी. भगत, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व
30.	श्री सुमनेश माथुर, मुख्य अभियंता एवं अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, राजस्थान सरकार, जयपुर	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
31.	श्री के.बी. राबदिया, प्रमुख अभियंता (एस.जी.) एवं अपर सचिव, नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं कल्पसार विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर	सचिव (डब्ल्यू), गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
32.	श्री एस.के. घानेकर, अधीक्षण अभियंता, केडब्ल्यूडीटी स्पेशल सेल, महाराष्ट्र सरकार, पुणे	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व
33.	श्री ए.के. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (योजना) जल, दिल्ली जल मंडल,	प्रमुख सचिव, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की सरकार का प्रतिनिधित्व

	रा.रा. क्षेत्र की दिल्ली सरकार, नई दिल्ली	
34.	सुश्री लीना जॉर्ज, उप मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, केरल सरकार, तिरूवंतपुरम	मुख्य सचिव, केरल सरकार का प्रतिनिधित्व
35.	श्री पी.के. अग्रवाल, सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
36.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित

1. श्री बी.एन. नवलावाला,
   मुख्य सलाहकार,
   डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय,
   एवंअध्यक्ष, कार्यबल, नदियों का अंतर्योजन

2. श्री एम. गोपालकृष्णन,
   पूर्व महासचिव, आईसीआईडी
   एवंअध्यक्ष, उप-समिति-III,
   विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं केंद्र सरकार के अधिकारी

1. श्री नरेंद्र कुमार,
   सदस्य (आरएम),
   केंद्रीय जल आयोग,
   नई दिल्ली

2. श्री प्रदीप कुमार,
आयुक्त (एसपी)
डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली

3. श्री बी.के. पांडा,
माननीय मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

4. श्री एल.आर. गुगरवाल,
माननीय राज्य मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

5. श्री श्याम विनोद मीना,
माननीय राज्य मंत्री, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली के निजी सचिव

6. श्री समीर सिन्हा,
पीआईओ, डब्ल्यूआर, आरडी एंड
जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली

7. श्री एस.के. शर्मा,
वरि. संयुक्त आयुक्त (पीपी),
डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली

8. श्री असित चतुर्वेदी,
वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम),
डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर मंत्रालय, नई दिल्ली

राज्य सरकारों के अधिकारी

1. श्री आर. सुब्रमणियन,
अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
जल संसाधन विभाग,
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

2. श्री एम.पी. रावल,
मुख्य अभियंता (क्यूसी) एवं अपर सचिव,
नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं
कल्पसार विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर

3. श्री अनिल कुमार धामा,
प्रमुख अभियंता (दक्षिण),
सिंचाई विभाग, उ०प्र० सरकार, लखनऊ

4. श्री डी. रामा कृष्णा,
मुख्य अभियंता (आईएसडब्ल्यूआर),
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

5. श्री एम. बांगरा स्वामी,
प्रमुख अभियंता,
आईएसडब्ल्यू, डब्ल्यूआरडीओ, कर्नाटक सरकार,
आनंदराव सर्किल, बैंगलुरु

6. श्री पवन वर्मा,
मुख्य अभियंता, वाई.डब्ल्यूएस. (साऊथ),
हरियाणा सरकार, दिल्ली

7. श्री हर प्रसाद,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखऊ

8. श्री डी.के. सिंग,
अधीक्षण अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
झारखंड सरकार रांची

9. श्री निरंजन प्रसाद,
अधीक्षण अभियंता,
आई.एस.डी. सेल, जल संसाधन विभाग,
ओडिशा सरकार, नई दिल्ली

10. श्री श्रीकांत निगम,
अधीक्षण अभियंता (जल संसाधन) एवं
पर्यावरण परामर्शदाता आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

11. श्री सुजीत बोरकर,
माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन विकास) के ओएसडी,
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

12. श्री आर. शिवाप्रसादन पिल्लई,
कार्यपालन अभियंता,
कावेरी विशेष प्रकोष्ठ, केरल सरकार, नई दिल्ली

13. श्री योगेश मित्तल,
कार्यपालन अभियंता (एन),
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

14. श्री श्रीरामैय्या,
तकनीकी सलाहकार,
जल संसाधन विभाग,
कर्नाटक सरकार, बैंगलुरु

15. श्री डी. शंकरा राव,
उप कार्यपालन अभियंता,
आईएसएण्डडब्ल्यूआर,
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

16. श्री आर. विलुआ नाथन,
संपर्क अधिकारी,
कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ,
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

17. सुश्री सुजा मैथ्यू,
सहायक कार्यपालन अभियंता,
कावेरी विशेष प्रकोष्ठ,
केरल सरकार, नई दिल्ली

18. सुश्री सरोज शर्मा,
संपर्क अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार, नई दिल्ली

19. सुश्री सिपिका श्रीवास्तव,
सहायक अभियंता एवं संपर्क अधिकारी,
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार,
नई दिल्ली

रा.ज.वि.अ.के अधिकारी

1. श्री आर.के. जैन,
मुख्य अभियंता (मु०),
नई दिल्ली

2. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

3. श्री एच.एन. दीक्षित,
मुख्य अभियंता (उत्तर),
लखनऊ

4. श्री ओ.पी.एस. कुशवाह,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

5. श्री एम.पी. गुप्ता,
निदेशक (वित्त),
नई दिल्ली

6. श्रीमती जेंसी विजयन,
निदेशक (एमडीयू),
नई दिल्ली